कार्यालय प्राचार्य, शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा,

जिला–सक्ती (छ.ग.) 495691

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ से संबंद्ध

AISHE ID –C- 22368 Phone No. - 8770171775

Website –www.gvcmalkharoda.in Email principalmalkharoda@rediffmail.com

क्र./ 511 /अति. व्याख्या./2024 मालखरौदा, दिनांकः– 06/11/2024

–: अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन :–

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक – 3, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज. स्था/2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमाक एफ– 3–54/स्था./2020/38–1, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20.06.2024 के परिपालन में **कार्यालय प्राचार्य, शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, जिला– सक्ती (छ.ग.) 495691** में अतिथि व्याख्याता **प्राणीशास्त्र** अध्यापन हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ **दिनांक 13.11.2024 को सायं 05.00 बजे तक** केवल रजिस्टर/स्पीड़ पोस्ट/डाक या स्वंय उपस्थित होकर (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। ईमेल अथवा अन्य किसी भी माध्यम एवं नियत तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिये न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयेग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेत न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी विनियम 2018 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग (असंम्पन्न वर्ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए
2. आयु सीमा अतिथि व्याख्याता अधिकतम 65 वर्ष वर्ष तक।
3. छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :–

क्र.	विषय/ पद	पदनाम	पद संख्या	रिमार्क
01.	प्राणीशास्त्र (जन्तुविज्ञान)	प्राध्यापक पद के विरूद्ध	01	

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वी, 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम, फिल/पी–एच.डी. अनुभवन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. **दिनांक** 13.11.2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार कियो जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनालाईन पोटल तैयान होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदानों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन **दिनांक** 16.11.2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट www.gvcmalkharoda.in पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड़ किया जायेगा।
5. आमंत्रित अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण करने का समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

6. आवेदन उपरांत संबंधीत आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
7. अतिथि व्याख्याता पद की सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगा।
8. आवेदक बंद लिफाफे के उपर पद सहित पत्राचार का पता– **कार्यालय प्राचार्य, शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, जिला– सक्ती (छग.) पिन– 495691** पर भेजे।
9. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/–(30000/– प्रतिमाह अधिकतम)
ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चार कालखंड लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35000/–प्रतिमाह अधिकतम)

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यकम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।
17. विज्ञापन के प्रकाशन में किसी प्रकार की लिपकीय त्रुटि आदि होने पर उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेज (यथा शासन द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता नीति 2024 एवं अन्य संदर्भित आदेश आदि) के प्रवधान लागू होगें। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में प्राचार्य अथवा आवश्यक होने पर उच्च शिक्षा संचालनालय/विभाग द्वारा की गई व्याख्या/निर्णय अंतिम व प्रभावी होगा।

PRINCIPAL
प्राचार्य
Govt. Vedram College
Malkharoda, Distt. Sakti (C.G.)

पृ. क्रमांक/ 512 /स्था./अतिथि व्याख्याता/2024 मालखरौदा, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
2. अपर संचालक क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर संभाग बिलासपुर (छ.ग.)।
3. कलेक्टर, जिला– सक्ती (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अग्रणी, प्रचार्य, शासकीय क्रांतिकुमार भारतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सक्ती को सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, समस्त शासकीय महा. छ.ग. और सूचना पटल में चस्पा हेतु निवेदन के साथ सूचनार्थ।

PRINCIPAL
प्राचार्य
Govt. Vedram College
Malkharoda, Distt. Sakti (C.G.)